बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

।। प्रेस विज्ञप्ति।।

दिनांक–29.03.2020
समय–06:00 बजे अप०

COVID-19 Virus के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के आलोक में निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है:–

1. राज्य के बाहर से आ रहे लोगों के लिये सीमावर्ती जिलों में राज्य सरकार के द्वारा सीमा आपदा राहत केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जहाँ इनके रहने, भोजन एवं स्वास्थ्य जाँच आदि की व्यवस्था की गयी है। स्वास्थ्य जाँच एवं भोजन कराने के पश्चात इन्हें सरकार के द्वारा बसों के माध्यम से उनके गाँव से संबंधित जिला मुख्यालय तक पहुँचाया जाएगा, जहाँ से सरकारी वाहन के द्वारा इन्हें उनके गाँव के स्कूलों तक ले जाया जाएगा एवं quarantine में 14 दिनों तक रखा जाएगा। इसके अनुपालन हेतु संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुखिया, सरपंच, पंच एवं अन्य सरकारी कर्मियों को निदेश दिया गया है।

अबतक 25000 से अधिक लोगों को उनके गाँव के विद्यालय तक पहुँचा दिया गया है, जहाँ उन्हें quarantine में 14 दिनों तक रखा जायेगा।

2. राज्य के शहरी इलाकों में फँसे हुए अन्य राज्य के निवासियों/ राज्य के निर्धन, निराश्रित आदि व्यक्तियों के लिये कुल 94 आपदा राहत केन्द्र संचालित किये गये, जिसमें आवासन के साथ–साथ भोजन की भी व्यवस्था की गयी है। उक्त आपदा राहत केन्द्रों में लगभग 6700 लोगों को भोजन कराया गया है। आपदा राहत केन्द्र में social distancing का विशेष ध्यान रखने का निदेश दिया गया।

3. राज्य में लागू lockdown के आलोक में सरकारी आदेश का उलंघन करने पर कुल 63 FIR दर्ज कराया गया है। साथ ही कुल 1233 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 179 के तहत कार्रवाई की गयी है।